



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4691 वर्ष 2026

आशीष कुमार विश्वकर्मा उर्फ आशीष कुमार

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग,
लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: विपिन मिश्रा, कु. अंजलि गौतम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

- विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरीश तिवारी द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान आवेदन के माध्यम से, प्रार्थियों ने समझौता विलेख दिनांक 25.03.2026 के आलोक में, वाद अपराध संख्या 799/2023, धारा 323, 342, 354, 506 भा.द.सं. और 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना पी.जी.आई., जिला लखनऊ से उत्पन्न आरोप पत्र संख्या 01/2023 दिनांक 06.12.2023 को, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित संज्ञान आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 06.03.2024 के साथ-साथ सत्र वाद संख्या 588/2024 "राज्य बनाम आशीष कुमार विश्वकर्मा" की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

4. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कुछ गलतफहमी के कारण, प्रार्थियों के विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और तत्पश्चात पक्षों ने एक साथ बैठकर अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसे 25.03.2026 को लिखित रूप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद प्रार्थियों ने विचारण न्यायालय को समझौता विलेख का सत्यापन करने का निर्देश देने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया और दिनांक 16.04.2026 के आदेश के अनुपालन में, सत्यापन किया गया और रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि वर्तमान मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए आक्षेपित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और कहा है कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और विपक्षी संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः प्रार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त तर्क पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षों के बीच 25.03.2026 को समझौता हुआ है और उक्त समझौते का सत्यापन 29.04.2026 को किया गया है और अब, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे उक्त आपराधिक मामले पर जोर नहीं देना चाहते हैं।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थियों और विपक्षियों ने समझौता कर लिया है और अब कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः बी.एस. जोशी व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (2003) 4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008) 9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य व अन्य (2008) 16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303; और नरिंदर सिंह व अन्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के आलोक में उक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार, वाद अपराध संख्या 799/2023, धारा 323, 342, 354, 506 भा.द.सं. और 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना पी.जी.आई., जिला लखनऊ से उत्पन्न आरोप पत्र संख्या 01/2023 दिनांक 06.12.2023 को निरस्त करने के संबंध में आपराधिक कार्यवाही, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 06.03.2024 के साथ-साथ सत्र वाद संख्या 588/2024 "राज्य बनाम आशीष कुमार विश्वकर्मा" की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

10. समझौता इस आदेश का भाग होगा।

11. आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

12. अभिलेख में निक्षेपित किया गया।

(न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि)

12 जून, 2026

वी.सिन्हा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।